हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)

No-BSEH/13/Sec/co/2023 Date-13-10-2023

विषयः—सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) पूरक परीक्षा अक्तूबर—2023 से सम्बन्धित प्रवेश—पत्र हेतु आवश्यक दिशा—निर्देश।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) पूरक परीक्षा अक्तूबर—2023 से सम्बन्धित सभी पात्र परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक दिनांक 13.10.2023 से जारी कर दिए गए हैं। जिन परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक रोके गए हैं ऐसे परीक्षार्थी कार्यालय दिवसों में, आवेदन भरने के साक्ष्यों के साथ—साथ परीक्षा की पात्रता से सम्बन्धित दस्तावेजों सहित सैकेण्डरी हेतु कमरा नम्बर 44 तथा सीनियर सैकेण्डरी हतु कमरा नम्बर 96 से 100 में उपस्थित हो कर पात्रता के दस्तावेज जमा करवा सकते हैं।

सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी की परीक्षाएं दिनांक 19.10.2023 से आरम्भ होनी है।

केवल अतिरिक्त विषय श्रेणी के परीक्षार्थियों को फोटो/हस्ताक्षर की शुद्धि हेतु अवसर प्रदान किया गया है, परीक्षाएं आरम्भ होने उपरांत फोटो/हस्ताक्षर सम्बन्धी त्रुटि ठीक नहीं होंगी।

जिन परीक्षार्थियों को लेखक की सुविधा लेनी है ऐसे परीक्षार्थी मुख्य चिकित्सा अधिकारी (C.M.O.) द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण—पत्र के आधार पर मुख्य केन्द्र अधीक्षक/केन्द्र अधीक्षक से अनुमति ले सकते हैं। Lower Class के परीक्षार्थी को लेखक के रुप में लिया जा सकता है। लेखक लेने हेतु अन्य आवश्यक दस्तावेजः—लेखक परीक्षार्थी के परिणाम की विद्यालय से सत्यापित प्रतियां, दो पासपोर्ट साईज रंगीन सत्यापित फोटो, लेखक हेतु प्रार्थना—पत्र आदि जमा करवाना आवश्यक है। मुख्य केन्द्र अधीक्षक/केन्द्र अधीक्षक द्वारा जिन परीक्षार्थियों को लेखक की सुविधा प्रदान की जाती है उनके दस्तावेजों को चैक करने उपरान्त प्रतियां मेल के माध्यम से बोर्ड कार्यालय में भेजना आवश्यक है। प्रार्थी को लेखक उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में प्रारूप जारी किया गया है, जिसकी प्रति बोर्ड की अधिकारिक वैबसाईट www.bseh.org.in से डाउनलोड़ कर सकते है।

इस सन्दर्भ में कुछ दिशा—निर्देश निम्न प्रकार से हैं इनकी दृढ़ता से पालना की जाएः—

1. परीक्षा केन्द्र परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
2. प्रवेश—पत्र का रंगीन प्रिंट **A-4** साईज पेपर पर लिया जाना आवश्यक है।
3. परीक्षार्थी अपने प्रवेश—पत्र पर पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो जो आवेदन करते समय स्कैन किया गया था उसे चिपकाकर, फोटो तथा प्रवेश—पत्र को किसी सरकारी/गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्राचार्य/मुख्याध्यापक या किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
4. परीक्षार्थी का परीक्षा आरम्भ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँचना अनिवार्य है।
5. प्रवेश—पत्र को लेमिनेशन न करवाएं क्योंकि प्रवेश—पत्र पर तिथि अनुसार परीक्षार्थी एवं पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं।
6. परीक्षा केन्द्र पर मूल पहचान—पत्र (आधार कार्ड आदि) साथ लेकर आएं।
7. प्रत्येक परीक्षार्थी के आधार कार्ड को वर्तमान अनुसार Up to date करवाना सुनिश्चित करें। बिना updation के परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जिसके लिए परीक्षार्थी स्वंय जिम्मेवार होगा।
8. परीक्षा केन्द्र में इलैक्ट्रोनिक सामान जैसेः—**Smart Watch**, मोबाईल, कैलकुलेटर आदि का उपयोग वर्जित है।
9. किसी अन्य/दूसरे के स्थान पर परीक्षा में प्रविष्ठ होना/परीक्षा देना एक दण्डनीय अपराध है, जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज करवाई जाएगी।
10. प्रश्न—पत्र पर वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तरों पर किसी प्रकार का निशान ना लगाएं अन्यथा **UMC** बना दिया जाएगा।

सहायक सचिव (सैकेण्डरी/सी0सै0)